तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
26.05.2022	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक ने दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थना पत्र मय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 27.04.2022 की प्रति पेश कर अपील द्वाखिल दफ्तर करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने इसका औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संत्र 2 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि प्रकरण मे चल रहे विवाद व संबधित भूमि पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 27.04.2022 द्वारा यथास्थिति बनाये रखी जाने का स्थगन आदेश पारित कर दिया है। अतः इस अपील में आगे की सुनवाई नही हो सकती है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे RRD 2010 पृष्ठ 557, का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने जिस प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया है वो मैटर अलग है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक की आपत्ति खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2022 की पालना स्थगित फरमाई जावें हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अति.जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 12.03.2022 की अपील प्रस्तुत की है। जिसमें स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भादरा एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठराना तहसील भादरा को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में S. B. Civil Writ Petition No. 5742/2022 प्रस्तुत की है। जिसमे राजस्थान सरकार, तहसीलदार भादरा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठराना तहसील भादरा एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया है। ज़िससे स्पष्ट है कि अपील मे वर्णित भूमि एवं पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में वर्णित भूमि एवं पक्षकार संमान है। उक्त याचिका में आदेश दिनांक 27.04.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में वर्णित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। इस संबध में रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत RRD 2010 पृष्ठ 557, के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के निर्णय तक इस प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जाता है, तथा दोनो पक्षो को पावन्द किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के याचिका में निर्णय के पश्चात निर्णय की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करे, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार निर्णय पारित किया जा सके। पत्रावली नम्बर से कम होक़र दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	